भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 642

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

12वीं योजना के दौरान निगरानी संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि

642. डॉ० वी० मैत्रेयन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शहरों की 24X7 निगरानी, तथा एक एकीकृत प्रणाली को लागू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बाबत कितनी धनराशि निर्धारित, आबंटित और खर्च की गई;

(घ) बड़े शहरों में निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने और अन्य आसूचना तथा सुरक्षा अभिकरणों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) बाहरवीं योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग) : देश भर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शहरों की 24X7 निगरानी और एकीकृत प्रणाली के लिए कोई पृथक स्कीम नहीं है। तथापि, सीसीटीवी प्रणाली महानगरीय पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) परियोजना का एक प्रमुख घटक है, जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) स्कीम (गैर-योजनागत) का एक उप-घटक है। एमसीपी परियोजनाओं में बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई शामिल हैं। 12वीं योजनावधि के दौरान एमसीपी के लिए कुल 432.90 करोड़ रु. की निधि निर्धारित की गई है। तथापि, आज तक बेंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद की एमसीपी के लिए 78.12 करोड़ रु जारी किए गए हैं।

(घ) : एमसीपी परियोजनाओं के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार विनियामक ढांचे बनाए रखने का अनुरोध करते हुए समय-समय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी करती है। जिसके द्वारा अत्यधिक आवाजाही और भीड़-भाड़ वाले मल्टीप्लेक्सों, मॉलों, होटलों, रेस्टोरेंटों, मार्केटों आदि जैसे कतिपय प्रकार के निजी प्रतिष्ठानों के संबंध में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी संबंधी मूलभूत सुरक्षा विशेषताओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों के बीच प्रभावी और सशक्त आसूचना का आदान-प्रदान करने संबंधी तंत्र और समन्वय है। संभावित षड़यंत्रों और खतरों से संबंधित आसूचनाओं को नियमित और लगभग वास्तविक समय के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। आसूचना के आदान-प्रदान के एक प्रभावशाली तंत्र के रूप में केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी केन्द्र (एमएसी) विकसित किया गया है तथा आसूचना समय पर एकत्र करने और राज्य एजेंसियों सहित अन्य आसूचना/सुरक्षा एजेंसियों के साथ इसे साझा करने के लिए 24X7 आधार पर कार्य करने में इसे सक्षम बनाने हेतु पुनर्गठित किया गया है।

(ङ) : 12वीं योजना अवधि के दौरान एमसीपी के लिए कुल 432.90 करोड़ रु. की निधि निर्धारित की गई है।

*****